न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33 / 2022

1 देवकरण उम्र व्यस्क
2 सत्यपाल उम्र व्यस्क पुत्रगण भगवानाराम जाति जाट निवासी भींखनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
3 अमित पुत्र शिशराम
4 बसन्ती पत्नी शिशराम
5 महिमा पुत्री शिशराम
6 सुनिल पुत्र शिशराम
7 सुमन पुत्री शिशराम
8 रामकरण पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी भींखनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 दाखी पत्नी लेखराम
2 पतासी पुत्री लेखराम
3 शारदा पुत्री लेखराम
4 सुनिता पुत्री लेखराम
5 सुभाष पुत्री लेखराम
6 गिरधारी पुत्र सुखदेवा
7 महेन्द्र पुत्र सुखदेवा
8 मोहनलाल पुत्र गज्जुराम
9 छोटुदेवी पत्नी मोहनलाल
10 पूर्णमल पुत्र गज्जुराम
11 बीरबल पुत्र गज्जुराम
12 सुलतान सिंह पुत्र गज्जुराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 रामनिवासी पुत्र गज्जुराम समस्त जाति जाट निवासी भींखनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
14 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाख मदनसर जिला झुन्झुनूं।
15 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
16 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
17 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
18 मनकोरी पत्नी
19 जगदीश पुत्र
20 सावित्री पुत्री
21 बनारसी पुत्री स्व. शिवलाल जाति जाट निवासी भींखनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर
मुकदमा उनवानी देवकरण आदि बनाम दाखी आदि
मु.नं. 77/2019 निर्णय दिनांक 14.09.2021

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मो. रसीद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/3/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 77/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 477, 478, 479 में से रास्ते हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में दिनांक 24.08.2024 को जबाब प्रार्थना पत्र के लिये नियत थी दिनांक 24.08.2021 को तारीख पेशी दिनांक 25.08.2021 दी गयी। दिनांक 25.08.2021 के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 01.09.2021 नियत की गयी। दिनांक 01.09.2021 को तारीख 02.12.2021 नियत की गयी तथा 02.12.2021 को तारीख 24.12.2021 तारीख पेशीयां अधिवक्ता की दैनिक डायरी में दर्ज है इस दौरान बहस सुने बिना ही दिनांक 14.09.2021 को विचारण न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण कर दिया। ना तो अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को बहस का अवसर दिया तथा ना ही निर्णय बाबत बताया गया इसलिये उक्त निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ प्राकृतिक न्याय के विपरित होने से काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता मानकर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि पत्रावली में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2020 व 25.02.2021 में जो फर्द मौका रिपोर्ट आयी है उससे जहां रास्ते की मांग की गयी है इस तथ्य की हुबहु ताईद होती है जिस रास्ते को विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता माना है तो वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजरी नक्शा में दर्शित ए. से बी. बिन्दु तक आज भी 12 फुट चौड़ा रास्ता अस्तित्व में है इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने टांई से बैरास जाने वाले रास्ते को जो रास्ता घुमकर भीखनसर भी आता है उसको वैकल्पिक रास्ता मान लिया है उक्त रास्ते को वैकल्पिक रास्ता मानने से 4–5 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तथ्य दिनांक 16.03.2020 की रिपोर्ट में भी दर्ज है तथा 25.02.2021 की रिपोर्ट में स्पष्ट दर्ज है कि पगडण्डी से काश्तकारों का आवागमन हमेशा होता था खसरा नम्बर 555, 556 के खातेदारों को ग्राम की आबादी भूमि से सीधा रास्ता खसरा नम्बर 212, 486, 479, 490 इन चारों खसरा नम्बर में रास्ता मौके पर प्रचलित है खसरा नम्बर 477, 472, 466 मौके पर पगडण्डी चालु है उक्त रिपोर्ट के साथ नोट इस बात का दर्ज है कि वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने से 2–3 किलोमीटर का चक्कर लगता है इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने मार्क बी.सी.डी.ई. रास्ता सकड़ा कर दिया उसको चौड़ा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था मौके पर रास्ता मौजुद है इस तथ्य की ताईद दोनों फर्द मौका रिपोर्ट करती है। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सुनवायी का अवसर दिये बिना खारिज करने में गलती कानूनी की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदन धारा 251 ए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किय गया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रकरण में चाराजोही कर रहे थे। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भीखनसर से चलकर खसरा नम्बर 212, 486, 790, 479 तक लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर चालु है तथा खसरा नम्बर 477, 471 में पगडण्डी चालु है जो ग्राम बैरास से टांई जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त रास्ता/पगडण्डी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्राम भीखनसर कि आबादी के पश्चिमी दिशा से एक कटानी रास्ता जाता है जो टांई से बैरास जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त खसरा नम्बर 555, 556 टांई से बैरास जाने वाले कटानी रास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

पर स्थित है। खसरा नम्बर 479, 477, 471 के काश्तकारों के भी भीखनसर से टांई जाने वाले कटानी रास्ता लगता है। जबकी उक्त खातेदार खसरा नम्बर 212, 486, 490 से आवागमन करते हैं। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा आपत्ति एतराज का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रा. पत्र में अंकित खसरा नम्बरान (प्रार्थना पत्र में वर्णित), जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों एवं खसरा नम्बर को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 08, 10, 11 के साथ मौका देखा गया। इस प्रकरण में वांछित खसरा नम्बर में जाने के लिए एक नहीं दो–दो मौके एवं रिकार्ड के अनुसार रास्ते मौजुद एवं प्रचलन में है, उसी रास्ते पर प्रार्थी को मौके पर बुलाया तो प्रार्थी ट्रेक्टर से स्वयं आया व दोनों रास्तों पर सरकारी गाड़ी के आगे–आगे चलकर स्वयं से सारे तथ्य व मौके दिखाये। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलान्ट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। अपीलांट के पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त नही कर सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 423 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचाराधीन निर्णय के समय कोविड–19 की महामारी के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भीखनसर से चलकर खसरा नम्बर 212, 486, 790, 479 तक लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर चालु है तथा खसरा नम्बर 477, 471 में पगडण्डी चालु है जो ग्राम बैरास से टांई जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त रास्ता/पगडण्डी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्राम भीखनसर कि आबादी के पश्चिमी दिशा से एक कटानी रास्ता जाता है जो टांई से बैरास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त खसरा नम्बर 555, 556 टांई से बैरास जाने वाले कटानी रास्ते पर स्थित है। खसरा नम्बर 479, 477, 471 के काश्तकारों के भी भीखनसर से टांई जाने वाले कटानी रास्ता लगता है। जबकी उक्त खातेदार खसरा नम्बर 212, 486, 490 से आवागमन करते हैं। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा आपत्ति एतराज का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रा. पत्र में अंकित खसरा नम्बरान (प्रार्थना पत्र में वर्णित), जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों एवं खसरा नम्बर को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 08, 10, 11 के साथ मौका देखा गया। इस प्रकरण में वांछित खसरा नम्बर में जाने के लिए एक नहीं दो–दो मौके एवं रिकार्ड के अनुसार रास्ते मौजुद एवं प्रचलन में है, उसी रास्ते पर प्रार्थी को मौके पर बुलाया तो प्रार्थी ट्रेक्टर से स्वयं आया व दोनों रास्तों पर सरकारी गाड़ी के आगे–आगे चलकर स्वयं से सारे तथ्य व मौके दिखाये। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलान्ट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। अपीलांट के पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त नही कर सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपील मेमों के साथ अपीलांट के अधिवक्ता ने स्वयं दैनिक डायरी की छाया प्रति प्रस्तुत कर आक्षेपित किया है कि पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में दिनांक 24.08.2024 को जबाब प्रार्थना पत्र के लिये नियत थी दिनांक 24.08.2021 को तारीख पेशी दिनांक 25.08.2021 दी गयी। दिनांक 25.08.2021 के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 01.09.2021 नियत की गयी। दिनांक 01.09.2021 को तारीख 02.12.2021 नियत की गयी तथा 02.12.2021 को तारीख 24.12.2021 तारीख पेशीयां अधिवक्ता की दैनिक डायरी में दर्ज है इस दौरान बहस सुने बिना ही दिनांक 14.09.2021 को विचारण न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण कर दिया। ना तो अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को बहस का अवसर दिया तथा ना ही निर्णय बाबत बताया गया इसलिये उक्त निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ प्राकृतिक न्याय के विपरित होने से काबिले

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निरस्त है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका नियमित चल रही है। इस आदेशिका में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दैनिक डायरी के अंकन में तालमेल नहीं पाया जाता है किन्तु आदेशिका बिना कांट–छांट एवं स्पष्ट होने से अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके आधार पर गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/3/15 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)